# झारखण्ड विधान सभा

*सत्यमेव जयते*

# दंड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

# दंड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020

## [सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड राज्य में अनुप्रयोग हेतु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या-2) में और संशोधन हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में झारखंड राज्य विधान–सभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ–

(1) यह अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता (झारखंड संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार पूरे झारखंड राज्य में होगा।

(3) यह राजकीय गजट में प्रकांशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसके पश्चात् संहिता कहा जाएगा) की धारा–299 की उपधारा (1) के वर्त्तमान प्रावधान को शीर्षक सहित निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

"**299. अभियुक्त की अनुपस्थिति में परीक्षण एवं विचारण**–(1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी यदि यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त व्यक्ति फरार हो गया है और उसके तुरंत गिरफ्तार किये जाने की कोई संभावना नहीं है, तो दर्ज अपराध के लिए वाद का विचारण सक्षम न्यायालय में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जारी रहेगा एवं न्यायालय किसी गवाह, जिसका साक्ष्य पूर्व में अभिलेखित हो गया हो को पुनः बुलाने या सुनने के लिए या पूर्व में पूर्ण की गई कार्यवाही को पुनः प्रारंभ करने के लिए बाध्य नही होगा, बल्कि पूर्व में प्रस्तुत किये गये या अभिलेखित साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर सकेगा तथा जिस चरण तक वाद का विचारण हो चुका हो वहाँ से आगे जारी रख सकेगा एवं विचारण पूर्ण होने पर निर्णय सुनायेगा।

परंतु यह कि न्यायालय फरार अभियुक्त के बचाव के लिए राज्य के व्यय पर एक अधिवक्ता नियुक्त कर सकेगा।

**स्पष्टीकरण**:– अभियुक्त की अनुपस्थिति में विचारण में फरार अभियुक्त के विरूद्ध यथास्थिति आरोप का गठन या अभियोग सारांश की व्याख्या सम्मिलित होगा।"

3. उपर्युक्त उपधारा (1) के पश्चात् संहिता में एक नई उप–धारा निम्नवत् अंतःस्थापित की जाएगी:–

"(1) अ– संहिता में किसी बात के होते हुए भी, जब कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है और जमानत पर या प्रतिभू सहित या रहित बंध पत्र पर मुक्त किया गया है, न्यायालय में बिना पर्याप्त कारण के जमानत या बंध पत्र के शर्त्तों के अधीन उपस्थित होने में असफल होता है, तो अभियुक्त को सम्मन तामिल के पश्चात् न्यायालय जाँच या विचारण उसकी अनुपस्थिति में कर सकेगा तथा न्यायालय किसी गवाह को पुनः बुलाने या सुनने, जिसका साक्ष्य पूर्व में अभिलेखित किया जा चुका हो, या पूर्व में पूर्ण की गई कार्रवाई को पुनः प्रारंभ करने के लिए बाध्य नहीं होगा, बल्कि पूर्व में प्रस्तुत किये गये या अभिलेखित साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर सकेगा तथा जिस चरण तक वाद का विचारण हो चुका हो वहाँ से आगे जारी रख सकेगा एवं विचारण पूर्ण होने पर निर्णय सुनाएगा।

यह विधेयक दण्ड प्रक्रिया संहिता (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 दिनांक 22 सितम्बर, 2020 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 22 सितम्बर, 2020 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(रविन्द्र नाथ महतो)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 36(A)--50--28-9-2020